



# POLICE COMMISSIONERATE



## GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 13.11.2022

**1-थाना बिसरख पुलिस द्वारा यमुना प्राधिकरण की फर्जी साइट बनाकर नागरिकों के साथ करोड़ों की ठगी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।**

दिनांक 13.11.2022 को थाना बिसरख पुलिस द्वारा यमुना प्राधिकरण की फर्जी साइट बनाकर नागरिकों के साथ करोड़ों की ठगी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त मधुर सहगल पुत्र विनोद कुमार सहगल निवासी जे0पी0 विशटाउन, सेक्टर-128, नोएडा को थाना क्षेत्र के टावर-01 में बने द्वितीय तल पर बनी दुकान 209/210 से गिरफ्तार किया गया है।

### **विवरण-**

अभियुक्त द्वारा WWW.YERDAWASIYAYOJNA.COM नाम से यमुना प्राधिकरण की फर्जी साइट बनाकर यमुना प्राधिकरण की साइट से मिलते-जुलते कागजात अपलोड किये गये थे जिसमें जनता के भोले-भाले लोगों को यमुना एक्सप्रेस-वे के भागीरथ सोसाइटी में सस्ते दामों में प्लॉट देने की स्कीम चलायी गयी, साइट पर प्लॉट बुक करने के लिये 21,000/-, 31,000/-, 15,000/- रुपयों के माध्यम से लकी ड्रा डलवाया गया था। सारा पैसा राजोर पे प्लेटफार्म के माध्यम एकाउन्ट में एक बार में आ जाता था। इस तरह इसके द्वारा करीब एक करोड़ की धोखाधड़ी की गई है।

### **अभियुक्त का विवरण:**

मधुर सहगल पुत्र विनोद कुमार सहगल निवासी जे0पी0 विशटाउन, सेक्टर-128, नोएडा।

### **अभियोग का विवरण:**

मु0अ0सं0 649/2022 धारा 420/467/468/471 भादवि0 व 66 डी आईटी एक्ट थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।



## 2-थाना इकोटेक-3 पुलिस द्वारा घर में घुसकर चोरी करने वाला एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 30 मोबाइल फोन, 01 लैपटॉप व 01 अवैध चाकू बरामद।

दिनांक 13.11.2022 को थाना इकोटेक-3 पुलिस द्वारा घर में घुसकर चोरी करने वाला 01 चोर लाजिम पुत्र शमशुद्दीन निवासी ग्राम हासिमपुर, थाना दातागंज, जनपद बदायूं वर्तमान पता देवी का मकान, ग्राम हबीबपुर, थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर को थाना क्षेत्र के जयसवाल कट, थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 30 मोबाइल फोन, 01 लैपटॉप व 01 अवैध चाकू बरामद हुए हैं।

### अभियुक्त का विवरण:

लाजिम पुत्र शमशुद्दीन निवासी ग्राम हासिमपुर, थाना दातागंज, जनपद बदायूं वर्तमान पता देवी का मकान, ग्राम हबीबपुर, थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।

### पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण:

- 1.मु0अ0सं0 465/22 धारा 380/411 भादवि थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।
- 2.मु0अ0सं0 466/22 धारा 380/411 भादवि थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।
- 3.मु0अ0सं0 467/22 धारा 380/411 भादवि थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।
- 4.मु0अ0सं0 469/2022 धारा 414 भादवि थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।
- 5.मु0अ0सं0 470/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।
- 6.मु0अ0सं0 52/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।
- 7.मु0अ0सं0 585/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।
- 8.मु0अ0सं0 458/2018 धारा 414 भादवि थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।
- 9.मु0अ0सं0 457/2018 धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना इकोटेक-3, गौतमबुद्धनगर।

### बरामदगी का विवरण:

- 1.चोरी के 30 मोबाइल फोन
- 2.चोरी का 01 लैपटॉप
- 3.01 अवैध चाकू



### **3-थाना सेक्टर-24 नोएडा पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल पर सवार होकर मोबाइल लूट करने वाले 02 लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की अपाचे मोटरसाइकिल व लूट के 03 मोबाइल फोन बरामद।**

दिनांक 12.11.2022 को थाना सेक्टर-24 नोएडा पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल पर सवार होकर मोबाइल लूट करने वाले 02 लुटेरे 1.कन्हैया कुमार झा पुत्र रामजी निवासी ग्राम दल्लूपुरा, थाना न्यू अशोक नगर, दिल्ली 2.अजय कुमार पुत्र योगेन्द्र उर्फ जोगेन्द्र निवासी दल्लूपुरा, थाना न्यू अशोक नगर, दिल्ली को थाना क्षेत्र के सेक्टर-54 टी पार्ट के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से लूट के तीन मोबाइल फोन व एक चोरी की मोटरसाइकिल अपाचे बरामद हुई है।

#### **अभियुक्तों का विवरण:**

- 1.कन्हैया कुमार झा पुत्र रामजी निवासी ग्राम दल्लूपुरा, थाना न्यू अशोक नगर, दिल्ली।
- 2.अजय कुमार पुत्र योगेन्द्र उर्फ जोगेन्द्र निवासी दल्लूपुरा, थाना न्यू अशोक नगर, दिल्ली।

#### **पंजीकृत अभियोग का विवरण:**

मु0अ0सं0 452/2022 धारा 411/414 भा0दं0वि0 थाना सेक्टर-24, नोएडा।

#### **बरामदगी का विवरण:**

- 1.चोरी की मोटरसाइकिल अपाचे रजि नं0 यूपी 82 एके 0646 सम्बंधित एफ0आ0आर0 नं0 032273 दिल्ली।
- 2.लूट के 03 मोबाइल फोन



### **4-थाना जेवर पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से तस्करी में प्रयुक्त गाड़ी व 180 अवैध शराब की बोतल बरामद।**

दिनांक 12/11/2022 की रात्रि को थाना जेवर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध शराब की तस्करी करने वाले 04 अभियुक्त 1.दीपक कुमार पुत्र अनिल प्रसाद निवासी सकरावान, थाना अस्थावा, जिला नालन्दा 2.राजा कुमार पुत्र जयप्रकाश भारती निवासी ग्राम चौकना, थाना रहोई, जनपद नालन्दा, बिहार 3.सोनू पुत्र मनीकान्त प्रसाद निवासी ग्राम सोनसा, थाना रहोई, जनपद नालन्दा, बिहार 4.राजकुमार पुत्र हाशो पासवान निवासी ग्राम सकरावान, थाना अस्थाना, जनपद नालन्दा, बिहार को टोल जेवर यमुना एक्सप्रेस-वे से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से तस्करी में प्रयुक्त कार सफेद रंग वैगन आर रजिस्ट्रेशन नं0 एचआर 55एबी 0479 व हरियाणा मार्का कुल 180 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई है।

#### **अभियुक्तों का विवरण:**

- 1.दीपक कुमार पुत्र अनिल प्रसाद निवासी सकरावान, थाना अस्थावा, जिला नालन्दा।
- 2.राजा कुमार पुत्र जयप्रकाश भारती निवासी ग्राम चौकना, थाना रहोई, जनपद नालन्दा, बिहार।
- 3.सोनू पुत्र मनीकान्त प्रसाद निवासी ग्राम सोनसा, थाना रहोई, जनपद नालन्दा, बिहार।

4.राजकुमार पुत्र हाशो पासवान निवासी ग्राम सकराबान, थाना अस्थाना, जनपद नालन्दा, बिहार।

### पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 433/2022 धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर।

### बरामदगी का विवरण:

1. तस्करी में प्रयुक्त कार सफेद रंग वैगन आर रजिस्ट्रेशन नं0 एचआर 55एबी 0479
- 2.हरियाणा मार्का कुल 180 बोटल अवैध अंग्रेजी शराब



### 5-थाना जेवर पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से तस्करी में प्रयुक्त गाड़ी व 240 अवैध शराब की बोटल बरामद।

दिनांक 12/11/2022 को थाना जेवर पुलिस द्वारा अवैध शराब की तस्करी करने वाले 05 अभियुक्त 1.पुष्पेन्द्र पुत्र सोनपाल निवासी श्याम पुर मानिकपुर, थाना सिकन्दाराऊ, जिला हाथरस 2.राहुल पुत्र मृत्युंजय निवासी ग्राम सुनसा, थाना रहोई, जनपद नालन्दा, बिहार 3.राहुल कुमार पुत्र मुरारी पासवान निवासी ग्राम ब्रुकना, थाना रहोई, जनपद नालन्दा, बिहार 4.अविनाश कुमार पुत्र जयप्रकाश पासवान निवासी ग्राम ब्रुकना, थाना रहोई, जनपद नालन्दा, बिहार 5.मुकेश कुमार पुत्र तेजू पासवान निवासी मोडा तालाब, थाना रहोई, जनपद नालन्दा, बिहार को थाना क्षेत्र के यमुना पुल के पास झुप्पा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से तस्करी में प्रयुक्त एक कार सफेद रंग अर्टिगा रजिस्ट्रेशन नं0 एचआर 55 एजे 0784 व 240 बोटल अवैध अंग्रेजी शराब की बोटल बरामद की गई है।

### अभियुक्तों का विवरण:

- 1.पुष्पेन्द्र पुत्र सोनपाल निवासी श्याम पुर मानिकपुर, थाना सिकन्दाराऊ, जिला हाथरस।
- 2.राहुल पुत्र मृत्युंजय निवासी ग्राम सुनसा, थाना रहोई, जनपद नालन्दा, बिहार।
- 3.राहुल कुमार पुत्र मुरारी पासवान निवासी ग्राम ब्रुकना, थाना रहोई, जनपद नालन्दा, बिहार।
- 4.अविनाश कुमार पुत्र जयप्रकाश पासवान निवासी ग्राम ब्रुकना, थाना रहोई, जनपद नालन्दा, बिहार।
- 5.मुकेश कुमार पुत्र तेजू पासवान निवासी मोडा तालाब, थाना रहोई, जनपद नालन्दा, बिहार।

### पंजीकृत अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 432/2022 धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 थाना जेवर, गौतमबुद्धनगर।

## बरामदगी का विवरण:

1. तस्करी में प्रयुक्त एक कार सफेद रंग अर्टिगा रजिस्ट्रेशन नं0 एचआर 55 एजे 0784

2. 240 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब की बोतल



**6-थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा पत्नी की हत्या करने के इरादे से पिस्टल खरीदने वाले अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध पिस्टल मय 05 जिन्दा कारतूस बरामद।**

दिनांक 12.11.2022 को थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा पत्नी की हत्या करने के इरादे से पिस्टल खरीदने वाले अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त 1. कृष्ण पुत्र जगवीर निवासी ग्राम कमरावली, थाना चाँदहट, जिला पलवल, हरियाणा 2. अजीत सिंह पुत्र गिरीराज सिंह निवासी ग्राम पानहोरी, थाना डींग, जिला भरतपुर, राजस्थान को थाना क्षेत्र के परीचौक मेट्रो स्टेशन के पास बनी पार्किंग से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त कृष्ण के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल मय 03 जिन्दा कारतूस 7.65 एमएम तथा अभियुक्त अजीत सिंह के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल मय 02 जिन्दा कारतूस 7.65 एमएम बरामद हुए हैं।

## विवरण:

अभियुक्त कृष्ण व अजीत सिंह शातिर किस्म के अपराधी हैं। अभियुक्त कृष्ण ने बताया कि मेरी शादी बचपन में 2009 में ग्राम तुगलपुर, गौतमबुद्धनगर निवासी युवती के साथ हो गयी थी। मेरे द्वारा कक्षा 9 के बाद से पढाई छोड़ देने तथा मेरी पत्नी द्वारा कॉलेज की पढाई किये जाने के कारण मेरी पत्नी ने मुझसे बात करना बन्द कर दिया और मेरे साथ शादी के बाद होने वाले गौना/विदाई के लिए मना करने लगी थी जिस कारण मैंने अपनी पत्नी को जान से मारने के लिए कुछ दिन पहले अजीत पुत्र गिरीराज सिंह निवासी ग्राम पानहोरी, थाना डींग, जिला भरतपुर, राजस्थान से पिस्टल व कारतूस 7.65 बोर खरीदे थे लेकिन पिस्टल में कुछ कमी आ जाने के कारण मैंने अजीत सिंह को पिस्टल बदलकर लाकर देने के लिए बुलाया था।

## अभियुक्तों का विवरण:

1. कृष्ण पुत्र जगवीर निवासी ग्राम कमरावली, थाना चाँदहट, जिला पलवल, हरियाणा।
2. अजीत सिंह पुत्र गिरीराज सिंह निवासी ग्राम पानहोरी, थाना डींग, जिला भरतपुर, राजस्थान।

## पंजीकृत अभियोग का विवरण:

1. मु0अ0सं0 278/2022 धारा 3/25 ए एक्ट बनाम कृष्ण थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 279/2022 धारा 3/25 ए एक्ट बनाम अजीत सिंह थाना नॉलेज पार्क, गौतमबुद्धनगर।

## बरामदगी का विवरण:

1. अभियुक्त कृष्ण के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल मय 03 जिन्दा कारतूस 7.65 एमएम
2. अभियुक्त अजीत सिंह के कब्जे से 01 अवैध पिस्टल मय 02 जिन्दा कारतूस 7.65 एमएम



7-थाना सेक्टर-126 नोएडा पुलिस द्वारा नोएडा व एनसीआर क्षेत्र में अवैध हथियार दिखाकर चार पहिया वाहन लूटने वाला एक शातिर लुटेरा/चोर/हिस्ट्रीशीटर घायल अवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 01 चोरी की मोटरसाइकिल होन्डा लिवो बरामद।

डीसीपी नोएडा द्वारा गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु 25,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की गई है।

दिनांक 13.11.2022 को चेकिंग के दौरान थाना सेक्टर-126 नोएडा पुलिस और लुटेरे बदमाश के बीच थाना क्षेत्र के पुश्ता रोड जे.पी. कट के पास हुई पुलिस मुठभेड के दौरान नोएडा व एनसीआर क्षेत्र में अवैध हथियार दिखाकर चार पहिया वाहन लूटने वाला एक शातिर लुटेरा/चोर/हिस्ट्रीशीटर मोहित उर्फ डिग्गा पुत्र इकरामुद्दीन उर्फ छोटे निवासी ग्राम असगरपुर, सेक्टर-128 नोएडा, थाना सेक्टर-126 नोएडा को पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ हेतु चलाई गयी गोली पैर में लगने के कारण घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर व 01 मोटरसाइकिल होन्डा लिवो चोरी की संबंधित मु0अ0सं0 386/21 धारा 379 भादवि थाना सेक्टर-20 नोएडा बरामद की गई है।

## संक्षिप्त विवरण:

अभियुक्त शातिर किस्म का चार पहिया वाहन लुटेरा/हिस्ट्रीशीटर है जो नोएडा एवं एन.सी.आर. क्षेत्र में लूट/चोरी एवं छिनैती की घटनाओं को अंजाम देता है जिसने नोएडा व एनसीआर क्षेत्र में चार पहिया वाहन लूटने की कई घटना कारित करना स्वीकार किया है। यदि लूट करते वक्त अगर कोई इसका विरोध/पीछा करता है तो उस पर ये जान से मारने की नियत/डराने के लिए तमंचे से फायर कर देता है तथा उसका सामान लूटकर फरार हो जाता है। अभियुक्त हरियाणा राज्य से भी डकैती के अभियोग में वांछित चल रहा था। इसके द्वारा जनपद गाजियाबाद, बरेली, बदायूं व दिल्ली/एनसीआर क्षेत्र में काफी घटनाओं को अंजाम दिया गया है। हाल ही में इसके द्वारा गुरुग्राम में भी एक गाड़ी को छिनने की घटना को अंजाम दिया गया था जिसके संबंध में गुरुग्राम पुलिस द्वारा भी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

## अभियुक्त का विवरण:

मोहित उर्फ डिग्गा पुत्र इकरामुद्दीन उर्फ छोटे निवासी ग्राम असगरपुर सैक्टर-128 नोएडा, थाना सेक्टर 126 नोएडा।

## पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण:

1. मु0अ0सं0 33/19 धारा 307/411 भा.द.वि. व 41/102 सीआरपीसी थाना जरीफनगर, बदायूं।
2. मु0अ0सं0 34/19 धारा 3/25 ए. एक्ट थाना जरीफनगर, बदायूं।
3. मु0अ0सं0 131/19 धारा 394/411/427 भादवि थाना सेक्टर-49, नोएडा।

- 4.मु0अ0सं0 02/19 धारा 394/411 भादवि थाना एक्सप्रेस-वे, गौतमबुद्धनगर।
- 5.मु0अ0सं0 12/21 धारा 3/25/27 आयुध अधि0 थाना सेक्टर-39, नोएडा।
- 6.मु0अ0सं0 10/21 धारा 307/382/34 भादवि थाना सेक्टर-39, नोएडा।
- 7.मु0अ0सं0 386/21 धारा 379 भादवि थाना सेक्टर-20, नोएडा।
- 8.मु0अ0सं0 47/20 धारा 392/397/411 भादवि व 25/54/59 आयुध अधि0 थाना डी.एल.एफ., फेस-2, हरियाणा।
- 9.मु0अ0सं0 180/22 धारा 307/411 भादवि थाना सेक्टर-126, नोएडा।
10. मु0अ0सं0 181/22 धारा 3/25/27 आयुध अधि0 थाना सेक्टर-126, नोएडा।

#### **बरामदगी का विवरण:**

- 1.01 अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर
- 2.01 मोटरसाइकिल होन्डा लिवो चोरी की संबंधित मु0अ0सं0 386/21 धारा 379 भादवि थाना सेक्टर-20 नोएडा

#### **# थाना कासना पुलिस द्वारा गुमशुदा बच्ची उम्र 04 वर्ष को अथक प्रयासों से उसके माता-पिता के सुपुर्द किया गया।**

दिनांक 13.11.2022 को समय करीब 18:00 बजे थाना कासना क्षेत्रांतर्गत स्थित कस्बा कासना में पीएनबी कट के पास पैदल गस्त के दौरान थाना कासना की महिला सुरक्षा इकाई के पुलिसकर्मियों को एक 04 वर्ष की बच्ची लावारिस अवस्था में मिली, जिसको पुलिसकर्मियों द्वारा तुरंत अपनी अभिरक्षा में लिया गया। प्रभारी निरीक्षक थाना कासना द्वारा सूचना प्राप्त होते ही तुरंत महिला सुरक्षा इकाई के पुलिसकर्मियों के साथ अथक प्रयास करते हुए बच्ची के परिजनों की तलाश की गई। आसपास काफी जानकारी व पूछताछ करने के बाद उक्त बच्ची के माता-पिता की जानकारी होने पर पुलिस द्वारा तुरंत बच्ची के माता पिता से संपर्क किया गया। सूचना मिलते ही बच्ची के परिजन आ गए एवं बच्ची व उसके माता-पिता द्वारा एक-दूसरे पहचाना गया। तत्पश्चात गुमशुदा बच्ची को थाना कासना पुलिस द्वारा उसके परिजनों के सकुशल सुपुर्द कर दिया गया। बच्ची के परिजनों द्वारा पुलिस के सहयोग हेतु गौतमबुद्धनगर की भूरी-भूरी प्रशंसा की गयी।